रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112026-277739
CG-DL-E-06112026-277739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2026/कार्तिक 12, 1948
No. 332] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2026/KARTIKA 12, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2026

सं.37/2026-27

विषय: प्रक्रिया-पुस्तक (एचबीपी), 2023 के अध्याय 10 में पात्र चार-सितारा और पाँच-सितारा स्थिति धारकों को स्कॉमेटप्राधिकार पत्र-आधारित सुविधा का विस्तार और भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर) की वैधता के विस्तार में संशोधन के संबंध में।

समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुएमहानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया-पुस्तक (एचबीपी) 2023 के अध्याय 10 में तत्काल प्रभाव सेनिम्नलिखितसंशोधन करते हैं:

2. तदनुसार, एचबीपी 2023 के अध्याय 10 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

क्रम सं.	प्रावधान से संबंधित संदर्भ	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	पैरा 10.10(ग) (vii)[स्टॉक और बिक्री]	एईओ प्रमाणपत्र की प्रति (ओईएम/ईएमएस/सीएम के मामले में)।	एईओ प्रमाणपत्र की प्रति या **वैधचार-सितारा/पाँच-सितारास्थिति धारक प्रमाणपत्र** (ओईएम/ईएमएस/सीएम के मामले में)।
2.	पैरा 10.12 (घ) (क) (ड) [जीएईआर]	आईसीपी अनुपालन के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) प्रमाणन, अनिवार्य होगा[विक्रेताओं/ओईएम को पुन: निर्यात के लिए]।	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) प्रमाणन या **वैधचार-सितारा/पाँच-सितारा स्थिति धारक प्रमाण पत्र**आईसीपी अनुपालन के साथअनिवार्य होगा [विक्रेताओं/ओईएम को पुन: निर्यात के लिए]।
3.	पैरा 10.12 (घ) (ख) (5) [जीएईआर]	आईसीपी अनुपालन के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) प्रमाणन। [विक्रेताओं/ओईएम को पुन: निर्यात के लिए]।	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) प्रमाणन या **वैधचार-सितारा/पाँच-सितारा स्थिति धारक प्रमाण पत्र** आईसीपी अनुपालन के साथ। [विक्रेताओं/ओईएम को पुन: निर्यात के लिए]
4.	पैरा 10.15 (झ) (1) (ख) (vi) [जीएईटी]	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) सीबीआइसी का टी-टूप्रमाणीकरण।	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) सीबीआइसी का टी-टूप्रमाणन या **वैधचार-सितारा/पाँच-सितारास्थिति धारक प्रमाण पत्र।**
5.	पैरा 10.15 (ll) (1) (ख) (vi)[जीएईआइएस]	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) सीबीआइसी का टी-टूप्रमाणीकरण।	अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) सीबीआइसी का टी-टूप्रमाणन या **वैधचार-सितारा/पाँच-सितारास्थिति धारक प्रमाण पत्र।**
6.	पैरा 10.12 (घ) (क) (ङ) [जीएईआर]	भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर), ऐसे निर्यात की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्धारित पश्च-रिपोर्टिंग के अधीन, जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा;	भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर), प्रत्येक तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर पश्च-शिपमेंट रिपोर्ट जमा करने के अधीन, जारी करने की तिथि से **तीन** साल की अवधि के लिए वैध होगा।
7.	पैरा 10.17 के अंतर्गत तालिका की क्रम संख्या 04	मरम्मत के बाद आयातित स्कॉमेट वस्तुओं के निर्यात के लिए जारी किया गया सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर), इसके जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। बशर्ते कि ऐसे निर्यात की तिथि से 30 दिनों के भीतर बाद में रिपोर्टिंग पूरी कर ली जाए।	मरम्मत के बाद आयातित स्कॉमेट वस्तुओं के निर्यात के लिए जारी किया गया सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईआर) इसके जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। इसके लिए शर्त यह है कि प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर पश्च-शिपमेंट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: यह सार्वजनिक सूचना, अन्य निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन, वैध चार-सितारा या पाँच-सितारास्थिति धारक प्रमाण पत्र रखने वाले पात्र निर्यातकों के लिए स्टॉक और बिक्री, मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर), दूरसंचार निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईटी) और सूचना सुरक्षा मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआईएस) प्रक्रियाओं के तहत मौजूदा स्कॉमेट प्राधिकार पत्र-आधारित सुविधा प्रदान करती है।

यह, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और भारत में मरम्मत के बाद स्कॉमेट वस्तुओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर) की बैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर देता है। तथापि,इसके लिए निर्धारित पश्च-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और अन्य लागू शर्तों का अनुपालन करना जरूरी होगा।

[फा. सं. 01/91/180/18/एएम-17/ईसी]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd November, 2026

No. 37/2026-27

Subject: Amendment to Chapter 10 of the Handbook of Procedures (HBP), 2023 – Extension of SCOMET Authorisation-based facilitation to eligible 4-Star and 5-Star Status Holders and extension of validity of General Authorisation for Export after Repair in India (GAER) – reg.

In exercise of the powers conferred under Paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments to Chapter 10 of the Handbook of Procedures (HBP) 2023, with immediate effect.

2. Accordingly, the following amendments are made to Chapter 10 of the HBP 2023:

Sl. No.	Reference to the provision	Existing provision	Amended provision
1.	Para 10.10(c)(vii) [Stock and Sale]	Copy of AEO certificate (in case of OEM/EMS/CM).	Copy of AEO certificate or **valid 4-Star/5-Star Status Holder Certificate** (in case of OEM/EMS/CM).
2.	Para 10.12(D)(A)(m) [GAER]	Authorized Economic Operator (AEO) Certification, along with ICP compliance, shall be mandatory [for re-export to vendors/OEMs].	Authorized Economic Operator (AEO) Certification or **valid 4-Star/5-Star Status Holder Certificate**, along with ICP compliance, shall be mandatory [for re-export to vendors/OEMs].
3.	Para 10.12(D)(B)(5) [GAER]	Authorized Economic Operator (AEO) Certification along with ICP compliance. [for re-export to vendors/OEMs]	Authorized Economic Operator (AEO) Certification or **valid 4-Star/5-Star Status Holder Certificate** along with ICP compliance. [for re-export to vendors/OEMs]
4.	Para 10.15(I)(1)(b)(vi) [GAET]	Authorized Economic Operator (AEO) T2 Certification of CBIC.	Authorized Economic Operator (AEO) T2 Certification of CBIC or **valid 4-Star/5-Star Status Holder Certificate.**
5.	Para 10.15(II)(1)(b)(vi) [GAEIS]	Authorized Economic Operator (AEO) T2 Certification of CBIC.	Authorized Economic Operator (AEO) T2 Certification of CBIC **or valid 4-Star/5-Star Status Holder Certificate.**

6.	Para 10.12(D)(A)(e) [GAER]	General Authorisation for Export after Repair in India (GAER) shall be valid for a period of one year from the date of issue of the General Authorisation, subject to the prescribed post-reporting(s) within 30 days from the date of such export;	General Authorisation for Export after Repair in India (GAER) shall be valid for a period of **three** years from the date of issue of the General Authorisation, subject to submission of post-shipment reports within 30 days from the end of each quarter.
7.	S.No.4 of the Table under Para 10.17	GAER issued for export of imported SCOMET items after repair shall be valid for a period of one year from the date of issue of GAER, subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from the date of such export.	GAER issued for export of imported SCOMET items after repair shall be valid for a period of **three** years from the date of issue of GAER, subject to submission subsequent of subsequent post shipment reports within 30 days from the end of each quarter.

3. Effect of this Public Notice:

This Public Notice extends the existing SCOMET Authorisation-based facilitation under the Stock and Sale, General Authorisation for Export after Repair (GAER), General Authorisation for Export of Telecommunication (GAET) and General Authorisation for Export of Information Security Items (GAEIS) procedures to eligible exporters holding valid 4-Star or 5-Star Status Holder Certificates, subject to fulfilment of the other prescribed conditions.

It also extends the validity of GAER from one year to three years, subject to compliance with the prescribed post-reporting requirements and other applicable conditions, with a view to enhancing ease of doing business and facilitating exports of SCOMET items after repair in India.

[F. No. 01/91/180/18/AM17/EC]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2024.11.06 23:32:41 +05'30'